हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम, जो इस हुक्म की तामील में जारी किए
20/9/2023 आज प्रार्थी के प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर पत्रावली पेश की गई। प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थी एवं अप्रार्थी के मध्य पंचायत के राजीनामा हो चुका है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहता है। उक्त प्रकरण इसी स्तर पर खारिज किया जावे। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के आधार पर उक्त प्रकरण को प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रकरण में आगामी कार्यवाही नहीं की जाती है। पत्रावली निथित होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर	सिद्धी राम

Signature Not Verified

Digitally signed by Sita Sharma
Date: 2023.10.07 12:14:57 IST
Reason: SelfAttested